अनुदान संख्या 65 - विधि और न्याय
GRANT No. 65 - LAW AND JUSTICE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1978,48,00	5174,22,00	5132,07,18	-42,14,82
पूरक	Supplementary	3195,74,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		1615,00,00	1191,23,57	-423,76,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				422,99,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व खंड में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें / अधिक व्यय हुई / हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2052”	Major Head “2052”				
सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	16998.00	18604.02	16258.08	-2345.94
पु.	R.	1606.02			
मुख्य शीर्ष “2014”	Major Head “2014”				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	29760.00	33608.21	32926.38	-681.83
पू.	S.	2966.00			
पु.	R.	882.21			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
चुनाव	Elections				
मू.	O.	31700.00			
पू.	S.	316608.00	345689.17	345616.57	-72.60
पु.	R.	-2618.83			
मुख्य शीर्ष "2020"	Major Head "2020"				
आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	12200.00			
			12167.00	11394.00	-773.00
पु.	R.	-33.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	8999.00			
			..	..	..
पु.	R.	-8999.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	90601.00			
			103584.75	103584.75	..
पु.	R.	-12983.75			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	6000.00			
			2215.25	2215.25	..
पु.	R.	-3784.75			

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹9777.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹150.00 लाख के अनुपूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹9149.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों कें अंतर्गत लेखाबद्ध हैं :—

(का) मुख्य शीर्ष "2014" — "अन्य व्यय — भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई)" — ₹150.00 लाख का पूरक अनुदान निधियों का प्रावधान करने में विलंब के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" — "न्याय का प्रशासन — न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए अनुदान" — ₹8999.00 लाख — उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों के लिए धन के पुनर्विनियोजन के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "2014" — "अन्य व्यय — राष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी सुधार मिशन" के तहत — दिसंबर, 2022 में ₹815.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4815.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो हालाँकि, कम आउटसोर्स कर्मचारियों को काम पर रखने, कम दौरे किए जाने और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण ₹100.83 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2015" के अंतर्गत — निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :—

(का) "संसद के चुनावों के संचालन के लिए शुल्क — विधानसभा विहीन संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" — ₹681.85 लाख की बचत (₹1385.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू—कश्मीर और लद्दाख के नव स्थापित संघ राज्य क्षेत्रों से दावे प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय — इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर व्यय" — ₹2000.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कच्चे माल की कमी के कारण

(I) Provision of ₹9777.00 lakhs (including supplementary grant of ₹150.00 lakhs obtained in December, 2022) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹9149.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2014" - "Other Expenditure - Arbitration Council of India (ACI)" - supplementary provision of ₹150.00 lakhs - due to delay in provisioning of funds.

(B) Major head "2552" - "Administration of Justice - Grants for infrastructural facilities for judiciary" - ₹8999.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2014" - "Other Expenditure - National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms" - the original provision of ₹4000.00 lakhs was augmented to ₹4815.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹815.00 lakhs in December, 2022 which, however, remained unutilized to the extent of ₹100.83 lakhs - due to hiring of less outsourced staff, less tours undertaken and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(III) Under Major Head "2015" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Charges for conduct of elections to Parliament - Expenditure in Union Territories without Legislatures" - saving of ₹681.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1385.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from newly established Union Territories of J&K and Ladakh.

(B) "Other Expenditure - Expenditure on Electronic Voting Machines" - saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल्स के निर्माण में देरी के कारण हुई।

lakhs) was due to delay in manufacturing of the Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails owing to the shortage of raw material.

(IV) मुख्य शीर्ष "2020" – "निदेशन और प्रशासन – आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण" के तहत – ₹506.00 लाख की बचत (₹11900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और लघु कार्यों और रखरखाव के लिए धन की कम आवश्यकता के कारण हुई थी।

(IV) Under Major Head "2020" - "Direction and Administration - Income Tax Appellate Tribunal" - saving of ₹506.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11900.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards minor works and maintenance.

(V) मुख्य शीर्ष "3602" के तहत – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाएं" – ₹3784.75 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Infrastructure facilities for Judiciary" - saving of ₹3784.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Union Territory Governments.

(VI) तीन मदों के तहत ₹943.81 लाख की बचत हुई, प्रत्येक मद ₹250.00 लाख से अधिक थी, किन्तु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से 32 प्रतिशत थी।

(VI) Under three heads saving of ₹943.81 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent to 32 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपरोक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1082.21 लाख) प्रयुक्त हो गई, मार्च, 2023 में मुख्य शीर्ष "2014" के तहत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

2.(I) The above savings were partly (₹1082.21 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant ₹1.00 lakh in March, 2023 under Major Head "2014" - under the following heads:-

(का) "विधिक सलाहकार और अधिवक्ता – विधि कार्य विभाग" – ₹782.71 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹526.71 लाख हुआ।

(A) "Legal Advisers and Counsels - Department of Legal Affairs" - ₹782.71 lakhs. Actual excess, however, was ₹526.71 lakhs.

(खा) "अन्य व्यय – भारतीय विधि संस्थान" – ₹299.50 लाख।

(B) "Other Expenditure - Indian Law Institute" - ₹299.50 lakhs.

(II) बचतें भी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई :–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – विधि कार्य विभाग" – ₹532.80 लाख का अधिक व्यय (₹7658.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केवरिया में आयोजित विधि मंत्रियों के सम्मेलन के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता, साइबर सुरक्षा निविदा और भारतीय विधि संस्थान के निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे जेईएम पर अग्रिम भुगतान के कारण हुआ था।

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Legal Affairs" - excess of ₹532.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7658.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Law Ministers' Conference held at Kewaria, advance payment on GeM for Cyber Security Tender and modernization and infrastructure of Centre of Excellence at Indian Law Institute Building.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – न्याय पालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं" – ₹12983.75 लाख का अधिक व्यय (₹70601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और असम, आंध्र प्रदेश और झारखंड में न्याय पालिका के लिए अवसंरचना विकास के विकास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Infrastructure facilities for Judiciary" - excess of ₹12983.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70601.00 lakhs) was due to the re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards development of infrastructure facilities for Judiciary in Assam, Andhra Pradesh and Jharkhand.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	161500.00	119201.00	119123.57	-77.43
पु.	R.	-42299.00			

(I) "निदेशन और प्रशासन – आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण और भवनों का निर्माण" के तहत – ₹9177.05 लाख की बचत (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण गतिविधियों की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(I) Under "Direction and Administration - Acquisition of Land and Construction of Buildings for Income Tax Appellate Tribunal" - saving of ₹9177.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of construction activities.

(II) "चुनाव – चुनाव आयोग के लिए ईवीएम" के तहत – ₹33199.38 लाख की बचत (₹150000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स के बिलों की के बिल प्राप्त नहीं होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कनल स्तर पर प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(II) Under "Election - EVMs for Election Commission" - saving of ₹33199.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150000.00 lakhs) was due to non-receipt of bills for Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.